

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/79/2025 रजू दिनांक: 30.06.2025 रजि0 न0 2025/176

अपीलार्थी:-

श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र दुलीचन्द शर्मा, निवासी
मकान नं0 ए-810, मंगलम ग्राण्ड सिटी अजमेर
रोड़, महापुरा, जयपुर-302026, जिला जयपुर
(राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास
न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)
301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 30.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2025/2709 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 03.02.2025 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र क्रमांक 9166 दिनांक 23.01.2025 के संबंध में सूचना चाही गई है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 9166 दिनांक 23.01.2025 के पूर्व आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.07.2024 से संबंधित है, के क्रम में की गई कार्यवाही, पत्र क्रमांक 7315-16 दिनांक 07.11.2024 एवं आवेदन पत्रांक 3302 दिनांक 02.07.2024 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अपीलार्थी सुनवाई नोटिस निस्तारण हेतु सादर प्रस्तुत है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्नक के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)